<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 4/2021 | दायर दिनांकः 18/01/2021

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश आयु 35 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी बरखेडा पो0 बजरंगगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)।
2. श्योराम आयु 59 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी काकडदा पो0 बजरंगगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :–

प्रार्थीः–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश

दिनाकः 18/11/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल अटरू तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 85 के ख0नं0 120 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 20 का रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.70 है0 आराजी प्रार्थीगण के पिता एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी नवीन खाता संख्या 85 साथ में संलग्न है। आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थीगण के पिता का नाम घर पर नारायण कहने के कारण खाते में गलती से रामनारायण के स्थान पर नारायण दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामनारायण है प्रार्थीगण के पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक तथा नकल जमाबन्दी खाता संख्या 93 में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामनारायण अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित हैं का सही नाम रामनारायण दर्ज है। आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर नारायण दर्ज करने की त्रुटि करने की त्रुटि की है जिसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में

वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर नारायण दर्ज करने की त्रुटि आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने की है इसलिए प्रार्थीगण आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा की गई त्रुटि को सही करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित आराजी में नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को दिया तो उन्होनें माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मोखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** से **pw 2** के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071—2074 ग्राम लक्ष्मीपुरा के खाता संख्या 85 के ख0नं0 120 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 20 का रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.70 है0 आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम सहखातेदार के रूप में नारायण पुत्र गोपाल दर्ज है। ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 93 की किता 5 रकबा 1.03 है0 आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम सहखातेदार के रूप में रामनारायण पुत्र गोपाल दर्ज है।

अन्य दस्तावेज प्रार्थीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में रामनारायण पुत्र गोपाल दर्ज है तथा आधार कार्ड में रामनारायण पुत्र रामगोपाल

दर्ज है। प्रार्थी क्रम 1 के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में चन्द्र प्रकाश पुत्र रामनारायण दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत कांकडदा पं.स. किशनगंज के प्रमाण पत्र दिनांक 31.12.2020 अनुसार नारायण व रामनारायण पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है एवं इसका सही नाम रामनारायण है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी के पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 85 के ख0नं0 120 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 20 का रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.70 है0 में सहखातेदार नारायण पुत्र गोपाल के स्थान पर रामनारायण उर्फ नारायण पुत्र गोपाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां